

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनानार्ता डाक व्यय की पूर्व अदायगी द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निवाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-19-36-2010-एक-4.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो रहा है। इस अधिनियम के अनुरूप सभी बच्चों का नामांकन, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं सभी बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूरी कराना राज्य की संवैधानिक अनिवार्यता है। इसका शुभारम्भ 1 अप्रैल 2010 से “स्कूल चलें हम अभियान” के साथ होगी।

“स्कूल चलें हम अभियान” विगत वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 3 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों

का सर्वेक्षण एवं इन बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी/शाला/ब्रिजिंग की व्यवस्था करना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को प्रेरित करना है। इसका आरंभ प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान से किया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से 15 अप्रैल 2010 तक प्रथम चरण में संचालित किये जाने वाले स्कूल चलें इसमें निम्नानुसार गतिविधियां संचालित होगी :—

- * समुदाय की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2010.
- * प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल 2010.
- * प्रत्येक ग्राम में शिक्षा चौपाल का आयोजन 2-4-2010.
- * शिक्षा सभा 14 अप्रैल 2010.
- * प्रत्येक बासाहट में घर-घर संपर्क के माध्यम से 3 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की जानकारी का ग्राम शिक्षा रजिस्टर अद्यतन करना—30 जून से 7 जुलाई 2010 तक।

“स्कूल चलें हम अभियान” माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्चम प्राथमिकता का कार्यक्रम है, अतः कृपया संलग्न परिशिष्ट अनुसार आपको आवंटित जिलों के विकासखण्डों में दिनांक 1 से 14 अप्रैल 2010 के मध्य दो दिवस के लिए आवश्यक रूप से भ्रमण कर “स्कूल चलें हम अभियान” को प्रभावी बनायें।

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

आवंटित जिलों की सूची परिशिष्ट

संक्र.	अधिकारी का नाम	आवंटित जिला
(1)	(2)	(3)
1.	श्री सत्य प्रकाश	धार
2.	श्री आर. परसुराम	अलीराजपुर
3.	श्री देवेन्द्र सिंघई	मुरैना
4.	श्री अशोक दास	खरगोन
5.	डॉ. राजन एस. कटोच	इन्दौर
6.	श्रीमती लवलीन ककड़	उज्जैन
7.	श्री आई. एस. दाणी	सतना
8.	श्री जी. पी. सिंघल	भोपाल
9.	श्री एम. एम. उपाध्याय	भिण्ड
10.	श्री एस. आर. मोहन्ती	राजगढ़
11.	श्री राघव चन्द्रा	शाजापुर
12.	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव	मंदसौर
13.	श्री के. सुरेश	रत्लाम
14.	डॉ. देवराज बिरदी	गवालियर
15.	श्री मनोज गोयल	शिवपुरी
16.	श्रीमती विजया श्रीवास्तव	जबलपुर
17.	श्री आलोक श्रीवास्तव	मण्डला
18.	श्री आर. के. स्वार्ज	अशोकनगर
19.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	श्योपुर
20.	श्री पी. सी. मीना	गुना
21.	श्री सेवाराम	देवास
22.	श्री सुदेश कुमार	बुरहानपुर
23.	श्री राधेश्याम जुलानिया	दमोह
24.	श्री दीपक खाण्डेकर	खण्डवा
25.	श्री प्रभांशु कमल	सीधी
26.	श्री अनिल श्रीवास्तव	पन्ना
27.	श्री प्रभाकर बंसोड़	सिंगरौली
28.	श्री के. पी. सिंह	

(1)	(2)	(3)
29.	श्री एस. पी. एस. परिहार	सिवनी
30.	श्री बी. आर. नाथदू	छतरपुर
31.	श्रीमती सलीना सिंह	बालाघाट
32.	श्री मनोज झालानी	सीहोर
33.	श्री अजय तिर्कीर्ण	बड़वानी
34.	श्री संजय बंदोपाध्याय	उमरिया
35.	श्री मोहम्मद सुलेमान	विदिशा
36.	श्री आशीष उपाध्याय	रीवा
37.	श्री एस. एन. मिश्रा	होशंगाबाद
38.	श्रीमती मधु हाण्डा	हरदा
39.	श्री मनोज गोविल	झाबुआ
40.	श्री अरुण तिवारी	शहडोल
41.	श्रीमती सुधा चौधरी	नीमच
42.	श्री ओमेश मूदड़ा	कटनी
43.	श्री प्रदीप खरे	बैतूल
44.	श्रीमती सीमा शर्मा	नरसिंहपुर
45.	श्री व्ही. के. बाथम	सागर
46.	श्री संजय दुबे	टीकमगढ़
47.	श्री अनुरुद्ध मुकर्जी	अनूपपुर
48.	श्री जब्बार ढाकवाला	डिण्डोरी
49.	श्री मनीष रस्तोपी	छिंदवाड़ा
50.	श्री सुभाष जैन	दतिया

आर. डी. साहू, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ-19-36-2010-एक-4.—उपरोक्त विषयक पूर्व में जारी इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2010 की प्रति संलग्न है। जारी किये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधित करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया जिला आवंटित किया जाता है :—

संक्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	पूर्व आवंटित जिला	वर्तमान आवंटित जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. परसुराम,	अलीराजपुर	रत्लाम
	प्रमुख सचिव		
2.	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव,	मंदसौर	छिंदवाड़ा
	प्रमुख सचिव		

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री अनिल श्रीवास्तव,	सीधी	कटनी
4	श्री ओमेश मूंड़ा,	कटनी	सीधी
5	श्री विश्वमोहन उपाध्याय,	-	भिण्ड
6	श्री अश्वनी राय,	-	नरसिंहपुर
7	श्री एन. एस. व्यास,	-	श्योपुर
8	श्री अमित राठौर,	-	अलीराजपुर
9	श्री मनीष सिंह,	-	मंदसौर
10	श्री संतोष मिश्र	-	अनूपपुर

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-3-2009-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्रान्त लिखित अधिनियम (निगोशिएकल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2009 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती बुधवार, दिनांक 14 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एस. पगारे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. एफ-7-1-92-दस-4.—सुश्री बी. मुनेम्मा (भावसे-1988) वर्तमान में वन संरक्षक (कार्यआयोजना) सिवनी द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का अनुरोध किया है। इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है :—

1. निर्धारित प्रपत्र में डीड
2. स्थानीय समाचार-पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना
3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति।
4. कुल नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति।

(2) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन सुश्री बी. मुनेम्मा का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है :—

पूर्व नाम—बी. मुनेम्मा
परिवर्तित नाम—ए. गौतमी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-23-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-30-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंबंधीक आदेश दिनांक 22 मार्च 2007 द्वारा नियुक्त श्री पवन कुमार दुबे, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रीवा के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 22 मार्च 2010 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 22 मार्च 2013 तक की वृद्धि करता है।

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-01-08-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन,

एतद्द्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया पुत्र स्व. श्री कंदोरीलाल बढ़ौलिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा.क्र. 1(बी)-08-04-इकौस-ब(दो).—राज्य शासन, एतदद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पन्ना नियक्त करता है।

फा.क्र. 17(ई)-116-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार चौदहा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-117-2008-इककीस-ब(दो).—द्वारा, श्री श्रेयज्योति खरे, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कट्टनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कट्टनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-118-2008-इककीस-ब(दो).—द्वारा, श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिकारी को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पातन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला

मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-119-2008-इकाईस-ब(दो)।—द्वारा, श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-120-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री गुरुदत्त दुबे, अधिवक्ता को तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से बिलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-121-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा,
श्री शिवकुमार सोनी, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी
व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक
167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/
2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में
माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक
19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से
तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका
प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन
रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-122-2008-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा, श्री सुरेज सिंह सेंगर, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009,

476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-123-2008-इक्कीस-ब(दो)।—द्वारा, श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता को तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-124-2008-इक्कीस-ब(दो)।—द्वारा, श्री भगवानदास राठौर, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-125-2008-इक्कीस-ब(दो)।—द्वारा, श्री कमलेश कुमार जायसवाल, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा.क्र. 17(ई)-126-2008-इक्कीस-ब(दो)।—द्वारा, श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी

व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009, 239/2009, 274/2009, 470/2009, 476/2009, 477/2009, 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1(बी)-6-05-इक्कीस-ब(दो)।—द्वारा, राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, अति. शास्. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक को श्री राजकुमार उरमलिया के स्थान पर अस्थायी रूप से शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त हेतु नवीन पैनल प्राप्त होने तक अपने कार्य के अतिरिक्त “शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक” का कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. एफ 13-6-10-अ-ग्यारह।—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 मार्च 2010 से 7 सितम्बर 2010 तक छः माह के लिये छूट देता है :—

- संदर्भधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगा।
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेयुलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

क्र. एफ 13-7-10-अ-प्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्यंत्र क्रमांक एमपी/4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 मार्च 2010 से 12 जुलाई 2010 तक चार माह के लिये छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगा।
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेयुलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अपर सचिव,

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश, राज्य में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र कार्य 7 मई 2010 तथा 22 जून 2010 के बीच किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव,

Bhopal, the 12th April 2010

No.F.-10-2-2008-II A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 read with Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 the State Government hereby decides to prepare the Population Register in the State of Madhya Pradesh and the field work for data collection relating to all

persons who are usually residing within the jurisdiction of their respective Local Registrars shall be undertaken between the 7th May 2010 and 22nd June 2010.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 7 मई 2010 से 22 जून 2010 तक मध्यप्रदेश राज्य में किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव,

Bhopal, the 12th April 2010

No.F-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990 the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 7th May 2010 to 22nd June 2010 in the State of Madhya Pradesh.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, अनुदेश देती है

कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात्:—

1. भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर).
2. जनगणना मकान नम्बर
3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री।
4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:—
 - (i) व्यक्ति
 - (ii) पुरुष
 - (iii) स्त्री
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. लिंग
10. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित हों।
11. इस मकान के स्वामित्व की स्थिति
12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या।
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या
14. पेयजल का मुख्य स्रोत
15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्य स्रोत
17. परिसर के भीतर शौचालय
18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
19. गन्दे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की सुविधा
21. रसोई घर

22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
24. टेलीविजन
25. कम्प्यूटर/लैपटॉप
26. टेलीफोन/मोबाइल फोन
27. साइकिल
28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
29. कार/जीप/वैन
30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं.

टिप्पणी।—मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं. 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृक्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव।

Bhopal, the 12th April 2010

No.F-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Householding and Housing Census Schedules in Connection with the Census of India 2011, namely:—

1. Building number (Municipal or local authority or census number).
2. Census House number.

3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.
4. Ascertain the use of census house.
5. Condition of the census house.
6. Household Number.
7. Total number of persons normally residing in the household:
 - (i) Persons
 - (ii) Males
 - (iii) Females
8. Name of the head of the household.
9. Sex.
10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others.
11. Ownership status of the house
12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
13. Number of married couple(s) living in the household.
14. Main source of drinking water.
15. Availability of drinking water source.
16. Main source of lighting.
17. Latrine within the premises.
18. Type of latrine facility.
19. Waste water outlet.
20. Bathing facility.
21. Kitchen.
22. Fuel used for cooking.
23. Radio/Transistor.
24. Television.
25. Computer/Laptop.
26. Telephone/Mobile phone.
27. Bicycle.
28. Scooter/Motor Cycle/Moped.
29. Car/Jeep/Van.
30. Availing banking Services.

Note.—Items 1 to 5 relate to Building particulars, items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to Head of the Household and items 9 to 30 relate only to Normal Households.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के तहत बने जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि राज्य के सभी लोग भारत की जनगणना 2011 के लिए जनगणना अधिकारी को अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 10 में विहित की गई रीत से पूछे गये प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें।

ऐसा कोई व्यक्ति जो जनगणना 2011 के लिये पूछे गए प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान नहीं करता है वह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

आम जनता की जानकारी के लिए जनगणना अधिनियम की धारा 8, 9, 10 एवं 11 पुनः यहां उद्धृत की जाती है:—

प्रश्नों का पूछा जाना 8(1) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय और उत्तर देने की क्षेत्र की सीमा में, जिसके लिए उसकी बाध्यता (धारा 8) नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा, निर्दिष्ट किया जाए।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा;

परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा, और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रुढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो।

अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक अंकित करने देगा। (धारा 9)

किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूद्धियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा।

अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का 10(1) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियां, जैसे जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा।

(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिदर्श करेगा।

शास्तियां 11(1)[(क)कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो

- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या
- (कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिये विधिपूर्वक अपेक्षित कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिये गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता भरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या;]
- (घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या
- (ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या
- (च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्याओं को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या
- (छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के उपबन्धों को अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या
- (ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा जुमाने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा और भाग (क), (ख) या (ग) के अधीन दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपग्राध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुमाने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th April 2010

No.F-10-2-2008-IIA(3).—In exercise of the powers conferred by rule 8(ii) of Census Rules, 1990 under the Census Act, 1948 (37 of 1948), “the State Government hereby direct all persons in the state to co-operate in furnishing accurate and unambiguous information to the Census Officer for Census of India 2011, according to provisions prescribed in the Section 8, 9 and 10 of the Act.”.

Any person who does not co-operate in furnishing accurate and unambiguous information to the questions thus asked by the Census Officers will be liable for punishment under Section 11 of the Act.

The Section 8, 9, 10 and 11 of Census Act is being extracted here again for general public information:—

**Asking of Questions
and Obligation to
Answer (Section 8)**

8(1) A Census Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as, by instructions issued in this behalf

by the Central Government and published in the Official Gazette, he may be directed to ask.

(2) Every person of whom any question is asked under sub-section (1) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief;

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.

Occupier to permit Access and affixing of numbers.
(Section 9)

Every person occupying any house, enclosure, vessel or other place shall allow census officer such access thereto as they may require for the purposes of the census and as, having regard to the customs of the country, may be reasonable, and shall allow them to paint on, or affix to, the place such letters, mark or numbers as may be necessary for the purposes of the census.

Occupier or Manager to fill up Schedule.
(Section 10)

10(1) Subject to such orders as the Census Commissioner may issue in this behalf, a census officer may, within the local area for which he is appointed, leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment, for the purpose of its being filled up by the occupier of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the Census.

(2) When such Schedule has been so left, the said occupier, manager or officer, as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of his knowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him as the case may be, at the time aforesaid, and shall sign his name thereto and, when so required, shall deliver the Schedule so filled up and signed to the census-officer or to such person as the census-officer may direct.

Penalties
(Section 11)

11(1) [(a) Any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made there under, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or

(aa) any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or;]

(d) any person who intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or belief, any question asked of him by a census officer which he is legally bound by Section 8 to answer, or

(e) any person occupying any house, enclosure, vessel or other place who refuses to allow a census

officer such reasonable access thereto as he is required by Section 9 to allow, or

- (f) any person who removes, obliterates, alters, or damages any letters, marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census, or
- (g) any person who, having been required under Section 10 to fill up a Schedule, knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of that Section, or makes any false

(h) return there under, or any person who, trespasses into a census shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a), (b) or (c) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

(2) Whoever abets any offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

By order and in the name of Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-109-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-109-2010-बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कस्बा, इंदौर.	154, 154/1650 158/1649.	15.32 एकड़

योग : 15.32 एकड़

विकास योजना में
निर्दिष्ट भू-उपयोग
(5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित
भू-उपयोग
(6)

औद्योगिक एवं मार्ग शर्त—

(1) खान नदी से 30 मीटर तक खुला क्षेत्र
छोड़ना होगा।

(2) मार्ग विस्तार हेतु भूमि विकास योजना
अनुसार छोड़ना होगा।

(3) परिसर में स्थित वृक्षों को जहां तक सम्भव हो, बचाया जाये तथा जिन वृक्षों को काटा जाना अपरिहार्य हो, उनके प्रतिस्थापन हेतु 5 नये वृक्ष प्रति काटे गये वृक्ष के मान से हरित क्षेत्र विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बघी नावलकर, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 4190-व.लि.-1-2010.—होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी का प्रारूपभाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएँ।

अतः मैं निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला होशंगाबाद में मध्यप्रदेश हैजा विनियम-1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों बाजारों उपहार ग्रहों भोजनालय होटलों जनता के लिये खाद्य पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

(क) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियां, मास-मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद रहेगी।

(ख) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मॉस मछली, अण्डे, कुल्फी आईस्क्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएँगे, उन्हें जालीदार ढक्करों से ढक्कर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढक्कर इस प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें।

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-1 (क एवं ख) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गये भोजन को न तो लायेगा न ही ले जायेगा।

इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन दुकान स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के

विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अधिवेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके। जनहित में म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5(5) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:—

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सा / खण्ड चिकित्सा अधिकारी।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत।
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक।
6. खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक।

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों, नालियों, गटरों, पानी के खड़डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने, उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छ: माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावशील होंगे।

निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्र. सह.अधि-रीडर-2010-490.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम-2000 के विनियम क्रमांक -03 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य संभागीय मुख्यालय, इन्दौर में माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को नियत की गई है। इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिशनर इन्दौर, राजस्व संभाग, इन्दौर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो।

(मान. अध्यक्ष द्वारा आदेशित)

विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 3792.—सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैंजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावे।

अतः मैं संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैंजा विनियम-1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

- (1) बासी मिठाइयां या खराब वस्तुओं या सड़े-गले फलों, सब्जियों, मास-मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी।
- (2) ताजी मिठाइयां, नमकीन, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, मॉस मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, वर्फे के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ, बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार

ढक्कनों से ढक्कर इस प्रकार रखें की मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें।

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-“क” (1) एवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन जो न तो लायेगा और न ही ले जायेगा।

(ग) इस आदेश के द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके। अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं :—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैध आयुर्वेदिक औषधालय।
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सीहोर/आष्टा।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीहोर/आष्टा/बुधनी/इच्छावर/नसरुल्लागंज।
6. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सीहोर/आष्टा/बुधनी/नसरुल्लागंज/इच्छावर/श्यामपुर।

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने, उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छ: माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो पहले हो, तक प्रभावशील होगा।

संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2008-1338-03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम (3)	कुल क्षेत्रफल (4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	सेमरिहा	सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया.
अशासकीय सर्वे क्रमांक			2	0.967	बरुहा जलाशय योजना के दूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
			5	0.275	
			6	0.910	
			7	1.461	
			8	0.142	
			9	0.170	
			10	0.101	
			11	0.109	
			12	0.032	
			13	0.105	
			14	0.336	
			15	0.186	
			18	0.817	
			19	0.539	
			20	0.101	
			21	0.648	
			22	0.539	
			23	3.481	
			24	0.539	
			25	1.275	
			26	1.169	
			27	0.142	
			28	1.485	
			29	0.445	
			31	0.692	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		32	0.700		
		37	0.752		
		38	0.388		
		39	1.546		
		40	0.081		
		41	0.142		
		42	0.100		
		43	0.020		
		45	0.400		
		46	0.087		
		47	0.432		
		48/1	0.352		
		63	0.607		
		64/2	0.405		
		67	0.304		
		68	0.121		
		69	0.466		
		70	0.587		
		80	0.814		
		213	0.227		
		216	1.619		
		217	0.926		
		218	0.405		
		220	1.478		
		223	0.170		
		227	0.090		
		230	0.160		
		231	0.057		
		233	0.405		
		383	0.040		
		384/1	0.101		
		384/2	0.101		
		385/1	0.121		
		37/453	2.043		
		39/464	0.486		
		44/445	0.020		
		66/454	1.282		
		योग . .	34.701		

शासकीय सर्वे क्रमांक

3	0.008
4	0.008
16	0.235
17	0.154
33	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			34	0.142	
			35	0.057	
			36	0.020	
			64/1	0.275	
			65	0.955	
			66	0.032	
			71	0.102	
			72	0.013	
			74	0.069	
			212	1.433	
			214	0.061	
			219	0.364	
			224	0.539	
			225	0.113	
			226	0.714	
			234	0.088	
			232	0.425	
			340	0.585	
			योग . . 6.433		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बरुहा जलाशय योजना के ढूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि

का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है।

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2008-1339-04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	सलैया	खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)	बरुहा जलाशय योजना के ढूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
			447	0.120	
			480	0.405	
			484	3.645	
			485/1	0.202	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			485/2क	1.923	
			485/2ख	1.922	
			486	1.400	
			487	0.474	
			490	1.619	
			491/1क	3.300	
			491/1ख	1.619	
			491/2	0.809	
			494/1क	0.142	
			494/1ख	0.141	
			494/2	0.121	
			योग . .	17.842	
				शासकीय	
			479/1	0.283	
			482/1	0.270	
			488	0.890	
			योग . .	1.443	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बरुहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है।
- (4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2008-1340-05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उमरिया	पाली	अमिलिहा	खसरा	क्रमांक	रकबा (हे. में)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया।	बरुहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन।
अशासकीय				36	0.214		
				56	0.220		
				60	0.155		
				62	0.480		
				69	0.150		
				70	0.130		
				73	0.008		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			76	0.140	
			77	0.040	
			78	0.080	
			87	0.324	
			101	0.809	
			103	0.106	
			104	0.807	
			106	0.560	
			113	3.610	
			114	3.047	
			116	0.607	
			118/1	0.304	
			118/2	0.304	
			121	0.607	
			124	0.405	
			126	0.202	
			136	1.114	
			138	0.850	
			139/1	0.101	
			146	0.073	
			589	0.101	
			590	0.020	
			592	0.020	
			594	0.530	
			595/1	0.433	
			595/2	0.429	
			596/2	0.320	
			598	0.324	
			599	0.206	
			600/2	0.405	
			600/3	0.405	
			601	0.045	
			602/1	0.380	
			602/2	0.190	
			602/3	0.194	
			602/4	0.380	
			603	0.140	
			604	0.166	
			605	0.194	
			606	0.401	
			607	0.235	
			608	0.744	
			609/1	0.150	
			609/2	0.154	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		610	0.667		
		614	0.487		
		615	0.607		
		617	0.121		
		618/1	0.372		
		618/2	0.205		
		618/3	0.225		
		620	0.210		
		622	1.214		
		623	0.405		
		625	0.240		
		627	0.170		
		629	0.238		
		632	0.405		
		633	0.262		
		634	0.242		
		635	0.129		
		636	0.170		
		637	0.547		
		639	0.200		
		640	0.101		
		643	0.030		
		646	0.530		
		647/1	0.101		
		647/2	0.101		
		723/3	0.324		
		723/4	0.500		
		728/2	0.304		
		729	0.030		
		730/2	0.202		
		731	0.070		
		733	0.405		
		735/2	0.320		
		736	0.380		
	योग . .		32.627		

शासकीय

38	0.113
39	0.089
54	0.060
55	0.070
57	0.049
58	0.070
59	0.020
71	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		72	0.081		
		74	0.020		
		75	0.160		
		99	0.260		
		102	0.688		
		105	0.200		
		107	0.350		
		108	0.080		
		109	1.562		
		110	1.598		
		111	0.057		
		112	0.105		
		115	0.073		
		117	1.343		
		119	0.502		
		120	2.279		
		122	1.497		
		123	1.327		
		125	0.429		
		135	0.660		
		137	0.162		
		142	0.080		
		143	0.030		
		144	0.129		
		145	0.050		
		147	0.670		
		593	0.121		
		595	0.495		
		596/1	0.142		
		600/1	0.215		
		611	0.028		
		613	0.138		
		616	0.729		
		621	0.440		
		624	0.097		
		626	0.065		
		630	0.350		
		631	0.437		
		638	0.180		
		641	0.081		
		642	0.440		
		644	0.093		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			648	0.080	
			668	0.320	
			724	0.219	
			725	0.140	
			728/1	0.070	
			730/1	0.020	
			138/784	0.032	
			शासकीय कुल योग . .	19.864	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरुहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है।
- (4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 04-अ-82-2009-10-राज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
दतिया	दतिया	पिसनारी	0.10	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी नहर संभाग, क्र. 9, जिला दतिया।	राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत पिसनारी एवं चिरूला के सम्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजघाट नहर परियोजना, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	तिलाडिया	11.51 एकड़ 4.658 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	राला उपनहर की राला टेलमाइनर नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 2-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोरखेड़ाकला	39.54 एकड़ 16.001 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	धनास	0.98 एकड़ 0.396 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 5-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	सेमलपानी कटीम	5.22 एकड़ 2.112 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज।	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 6-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बालागांव	5.56 एकड़ 2.250 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 7-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	रिछाडिया कदीम	7.23 एकड़ 2.926 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 646-भू-अर्जन-2010-गा.प्र.क्र. 09-अ 82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करवड़	1.53 योग . . <u>1.53</u>	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-398.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	उमरसिंगी	52.745 योग . . <u>52.745</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर.	मकोडी-उमरसिंगी तालाब योजना.

नोट—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. क-भू.अ.-1-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1) दमोह	(2) पथरिया	(3) नगर/ग्राम देवरान प.ह.नं. 24, खसरा नं. 216.	(4) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.04	(5) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) दमोह. (6) बांसा देवरान भौंरासा मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

ईश्यु क्र. 481-री-10-प्र.क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1) मन्दसौर	(2) सुवासरा	(3) ग्राम अजयपुर	(4) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) 1.62	(5) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर. (6) अजयपुर तालाब के नहर निर्माण हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ईश्यू क्र. 480-री-10-प्र.क्र. 4-अ-82-09-10-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मन्दसौर	सुवासरा	अजयपुर	1.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर।	अजयपुर तालाब योजना के लघु नहर हेतु।	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	नटेरन	ऐग्याई	28.019	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु।	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 35-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	शहपुरा	326.341 योग . . 326.341	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु,

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	साडेर	126.792 योग . . 126.792	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2665-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	जैतपुरा	3.042	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बोरदाखुर्द तालाब की शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	3.042		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 348-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रूपखेड़ा	0.690	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 351-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बहादरपुरा	1.885	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्द्रिया सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्द्रिया सागर परियोजना (नहरों), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 349-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बिलखेड़	2.276	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्द्रिया सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्द्रिया सागर परियोजना (नहरों), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 350-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	कसरावद	बामंदी	0.885	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 353-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	कसरावद	रेगवा	2.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 352-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 28-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	कसरावद	खड़कवानी	5.830	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 354-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	कसरावद	सोनखेड़ी		6.231	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 489-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बड़वानी	अन्जड़	उमरिया		14.948	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 490-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	साली	22.760	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 491-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	भमोरी	19.874	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 492-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड	बिलवा रोड	6.363	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 493-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मंदिल	6.238	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 522-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के

लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	लोनसरा बुजुर्ग	10.340	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 523-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों कि भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	तलवाड़ा बुजुर्ग	26.750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 524-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 17-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	रेहगुन	22.510	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 525-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सजवानी	42.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 526-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सेगांव	5.200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 527-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बड़गांव	18.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 528-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 21-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी खुर्द	12.830	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. 216-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	चितावद	6.519	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.	अंगीकृत विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप आवास एवं सिटी पार्क हेतु (योजना क्रमांक 163).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 29 जनवरी 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—बुदनी
- (ग) नगर/ग्राम—परसवाड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.160 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.790
9-10/1क	1.370
योग . .	2.160

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—मेहरुगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.198 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
22/1/1क	0.101
22/1/1ग	0.097
योग . .	0.198

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—भीमगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.287 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53,55,62/2/2ख	0.275
53,55,62,2/1/1	0.182
61/1	0.008
59/1/1क	0.154

(1)	(2)
58	0.105
106/58	0.178
59/1/1ख/1	0.308
60/1	0.077
योग . .	<u>1.287</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—जोगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.344 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53	0.057
64,185/58/2/2	0.113
64,185/58/2/2ख	0.057
64,185/58/2/2घ	0.097
54	0.008
64,185/58/2/2ग	0.113
64,185/58/2/2क	0.304
176/61	0.089
60,71,73,177/64,178/72/1	0.008
60,71,73,177/64,178/72/2	0.004
60,71,73,177/64,178/72/3	0.243
60,71,73,177/64,178/72/4	0.251
योग . .	<u>1.344</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—राला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.320 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
180/3, 1811/8	0.114
180/1, 181/2/1/1	0.004
180/1, 181/2/1/2/1	0.202
योग . .	<u>0.320</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला माइनर क्र. 2 की सब माइनर.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—राला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.930 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
419, 420, 421/2	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
419, 420, 421/1/2	0.049	61/1/2	0.020
419, 420, 421/1/1	0.016	61/3	0.332
423,424/5	0.162	60	0.421
423/424/4	0.024	योग .	1.056
423/424/3	0.032		
423/424/2	0.040		
423/424/1	0.049		
425/1	0.332		
431/2/2	0.134		
413/2/3	0.129		
413/2/5	0.040		
413/3/2क	0.081		
413/3/3	0.113		
413/4/2	0.121		
413/4/1ख	0.008		
413/5/3	0.308		
412/1/4	0.284		
योग .	1.930		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला उप नहर की राला टेलमाइनर हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 8-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—नसरुल्लागंज
- (ग) ग्राम—पाडलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.056 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/2/1/1	0.073
58/2/1/3ड	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—राला उप नहर की टेल माइनर हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 6 फरवरी 2010

राजस्व प्रकरण क्र. 4-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—पानसेमल
- (ग) ग्राम—बायगोर एवं करणपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.362 हेक्टर.

सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-बायगोर तहसील पानसेमल (तालाब हेतु)	
47/2	0.565
47/3	0.073
48	2.308
68/14	0.821
योग .	3.767

(1)	(2)
ग्राम—करणपुरा तहसील पानसेमल (तालाब हेतु)	
3/1/1	0.243
योग . .	0.243
ग्राम—करणपुरा तहसील पानसेमल (नहर निर्माण हेतु)	
1/7 क	0.045
1/7 ख	0.040
1/9/1ग	0.198
1/23	0.045
2/3	
1/24	0.110
1/4	
3/4	
4/1	0.208
4/6	
5/1	
3/5	0.144
6/1	
9/1 क	0.148
9/1ख	0.212
3/6डं	
9/3डं	
13/1डं	0.101
16/4डं	
3/6ज	
9/3ज	
13/1ज	0.101
14/4ज	
योग . .	1.352
कल योग . .	5.362

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—करणपुरा तालाब एवं नहर परियोजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन चंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 337-10-राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ-82-2008-09-भू-
अर्जन.—चंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया

है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

 - (क) जिला—बड़वानी
 - (ख) तहसील—पानसेमल
 - (ग) ग्राम—चुनाभट्टी एवं पन्नाली
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.629 हेक्टर.

सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—चूनाभट्टी तहसील पानसेमल (तालाब निर्माण	
3	0.020
4	1.600
6	0.710
10	1.030
12	0.526
13	0.430
18	0.061
26	0.830
योग . .	5.207

ग्राम—पन्नाली तहसील पानसेमल (तालाब निर्माण हेतु)

10/1		
11/1		0.101
13/2		
14/2		
10/2		
11/2		
11/3		0.364
15/2		
16/4		
13/1		0.130
27		1.053
	योग . .	1.648

ग्राम—पन्नाली तहसील पानसेमल (नहर निर्माण हेतु)

9/1/6 0.045
9/2, 9/3 0.210
18/1/1&k, 18/1/8

(1)	(2)
10/2	
11/2	
11/3	0.081
15/2	
16/4	
13/1	0.165
16/1	0.081
16/3	0.081
18/1ख	0.180
18/1ग	0.068
19/3	0.030
24/1ख	0.338
24/2	
24/1/1क	0.090
24/3	
24/4	0.060
24/5	
24/1/2क	0.225
41/1	
41/2	0.120
योग . .	1.774
कुल योग . .	8.629

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घानापानी तालाब एवं नहर निर्माण परियोजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 59-अ-82-2008-09-क्र. 499-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—झिरन्या
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.842 हेक्टर.

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने

निजी वाला क्षेत्रफल

(हेक्टे. में)

(1) (2)

50/2 0.518

52 0.324

योग : 0.842

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 71-अ-82-2008-09-क्र. 502-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—खुरमपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.685 हेक्टर.

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने

निजी वाला क्षेत्रफल

(हेक्टे. में)

(1) (2)

123 0.166

122 0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
121/2	0.118	263/1	0.906
105/5, 105/6	0.504	265/3	0.809
105/4	0.084	265/20	0.889
109/2	0.010	267/2	0.571
109/1	0.167	267/1/2/3	0.263
108	0.679	463/9, 463/10	0.910
106/2	1.381	योग :	6.917
100/2	0.129		
100/1	0.622		
96/2	0.813		
योग :	4.685		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की कुआं ब्रान्च की नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 86-अ-82-2008-09-क्र. 500-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—बड़सलाय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.917 हेक्टर।

खसरा नंबर निजी	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
260/5	1.011
260/6	1.558

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्र. 326-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—बोरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—37.714 हेक्टर।

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
32	6.321
33	1.165

(1)	(2)	(1)	(2)
62/1	0.520	119/2	0.072
62/3	0.075	123/1	0.102
64/1/1	0.810	123/2/1/1/2	0.024
64/1/2	0.647	123/2/1/1/3	0.030
64/2	1.165	123/2/2	0.066
66	3.323	150	2.363
68	4.497	152/1	2.882
69	3.116	163/7	0.360
95/1	0.450	167/2	0.060
96/1	0.090	167/3	0.240
96/3	0.030	168/15	0.450
96/5	0.120	193/1	0.100
96/8	0.036	193/2	0.543
96/9	0.024	193/3	1.412
123/3	0.078	386/1/2	0.048
123/2/1/2/2	0.048	386/2	0.402
125/2	0.090	391/1	0.048
135/1/2	0.120		
135/2	0.225		
136/1	0.345		
136/2	0.030		
137/1	0.060		
137/2	0.088		
137/3	0.120		
145/1	0.110		
145/2	0.344		
148/2	0.607		
148/3	0.910		
148/5	0.527		
148/6	0.523		
148/7	1.254		
117	0.108		
118/1/1/1			
117	0.150		
118/1/1/2			
117	0.060		
118/1/2			
117	0.234		
118/2			
119/1/1/1	0.030		
119/1/1/2	0.020		
119/1/2	0.042		
		योग . .	37.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बोरगांव तालाब योजना एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 5-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—भाण्डेर
- (ग) ग्राम—ततारपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
854	0.04
1056	0.06
1175	0.05
1499	0.08
1895	0.05
योग . .	0.28

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत रामगढ़ शाखा नहर की ततारपुर सब माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2661-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर निर्माण एवं बांध के ढूब क्षेत्र में छूटे हुए सर्वे नं.) के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—राजगढ़
- (ग) ग्राम—बांसखेड़ा, देहरीकराड़ा, गोरियाखेड़ा, गिन्दोरी एवं धुवाखेड़ी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.016 हेक्टर.

एल. बी. सी. नहर	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1) .	(2)	ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 3.034 हेक्टर
298/2/6	0.170	
298/2/16	0.080	
298/2/34	0.080	
298/2/41	0.080	
298/2/36	0.005	
298/2/37	0.070	
298/2/38	0.065	
421/36	0.200	
1190/18	0.120	
421/1	0.160	
421/7/1	0.045	
421/6	0.080	
421/7/2	0.045	
1190/20	0.146	
1190/23	0.276	
1203/3	0.150	
1190/24	0.200	
1203/5	0.118	
1203/6/1 से	0.088	
1203/6/1 से	0.088	
1203/6/2	0.088	
1203/6/5	0.090	
304	0.200	
1190/26/2	0.060	
1190/16	0.250	
1203/6/3	0.080	

(1)	(2)	(1)	(2)
ग्राम-देहरीकराड़ा, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टर			
807/49	0.050	55/1	0.050
816/1/1	0.060	54	0.004
816/1/2	0.100	77/2	0.040
816/2	0.200	37	0.070
820/1	0.021	38	0.040
820/3/1	0.021	30/1	0.060
816/3	0.200	30/2	0.037
820/2	0.021	30/3	0.028
820/3/2	0.021	570	0.052
819	0.040	135/2	0.025
83/37	0.200	132	0.030
83/47	0.100	121/1	0.140
807/36	0.200	121/108	0.006
आर. बी. सी. नहर		109	0.020
ग्राम-गोरियाखेड़ा, क्षेत्रफल 3.771 हेक्टर		110/1	0.080
1/9/1	0.010	111/1	0.010
1/9/2	0.010	110/2	0.010
1/8	0.060	111/2	0.060
1/7/1	0.030	590	0.440
1/7/2	0.030	559/1	0.040
1/6	0.050	559/2	0.040
1/5	0.050	590/3	0.300
1/4	0.050	590/2	0.200
1/3	0.050	567/1	0.016
1/2	0.050	567/2	0.016
1/14	0.080	568/1	0.040
1/15	0.030	568/2	0.040
560/1	0.013	569/1	0.020
558	0.060	569/2	0.020
556	0.008	56 से	0.210
560/2	0.030	55/1	0.031
560/3	0.100	55/2	0.031
560/5	0.140	135/1	0.025
560/4	0.160	134/1	0.013
551/1	0.005	134/2	0.014
551/2	0.005	121/3	0.018
553	0.030	121/2	0.017
570	0.042	57/5/1	0.045
517/1	0.100	57/5/2	0.050
56	0.040	57/5/3	0.100
		55/1	0.050

(1) डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि का अर्जन

ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 2.214 हेक्टर

421/30/2	1.000
225/3/1	0.120
421/30/1	0.100
421/26/2	0.300
218/3/1	0.047
213	0.038
220/4/2	0.020
229/1267/1/1	0.125
249/1	0.031
260	0.180
421/1	0.253

ग्राम-गिन्दोरी, क्षेत्रफल 0.300 हेक्टर

452/3	0.300
-------	-------

ग्राम-धुंवाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टर

130/7	0.463
-------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2663-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रावतपुरा तालाब निर्माण हेतु शीर्ष एवं नहर कार्य में शेष बची भूमि) के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—राजगढ़
- (ग) ग्राम—रावतपुरा एवं देवरीकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.285 हेक्टर।

डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि

खसरा नंबर रकबा (हेक्टर में)

(1)	(2)
ग्राम-रावतपुरा, क्षेत्रफल 0.563 हेक्टर	
54	0.020
53	0.300
111/1/1	0.193
51/2	0.050

नहर में शेष बची भूमि

ग्राम-देवलीकला, क्षेत्रफल 1.722 हेक्टर

396	0.019
408	0.133
482	0.221
485/1	0.126
485/2	0.202
486/2	0.066
487/3	0.432
488	0.177
484/1	0.063
392/2	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रावतपुरा तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य पूरक निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 233-प्र. क्र. 14-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धरमपुरी
- (ग) ग्राम—बेगन्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.481 हेक्टर

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

6/1	0.160	136/1	0.320
6/2	0.140	136/2	0.120
6/3	0.120	136/3	0.120
5/1	0.240	136/4	0.020
2/1	0.450	137/1/1	0.025
2/2	0.150	136/6/1	0.041
2/3	0.280	137/3/1	0.045
2/4	0.280	136/6/2	0.030
74/1	0.240	137/3/2	0.050
75/1	0.250	134	0.120
76	0.410	133/2	0.290
77/2	0.330	162/1	0.290
77/3	0.280	162/2	0.220
77/1/1	0.120	162/3	0.070
78/1	0.010	163/1	0.060
81	0.240	127/2	0.100
82/1	0.240	163/2	0.120
82/2	0.240	163/3	0.120
63/2	0.200		योग . 10.481
63/5	0.200		
63/3	0.500		
63/1	0.200		
38/2	0.350		
35/1	0.400		
35/2/4	0.080		
66/2/1	0.300		
43/1	0.030		
43/2	0.080		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन चंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 245-भू-अर्जन-ओ. एस. पी.-010-भू-अर्जन-प्रकरण-
क्रमांक 15-अ-82-08-09.—संशोधन.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक
928/भू-अर्जन/08/धार, दिनांक 19 जून, 2009 ग्राम बलवाडा
तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 7.734 हेक्टेयर के
भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक
सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन,
आँकोरेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित,
का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1672-
1673 पर दिनांक 03 जुलाई, 2009 को तथा दो समाचार पत्रों
दैनिक अवंतिका एवं नई दुनिया में दिनांक 30 जून, 2009 को
प्रकाशन हुआ है. जिनका जी-नम्बर 13987/09 है :—

(1)	(2)
32/2	0.050
29/2	0.565
29/3	0.160
30	0.370
49	0.415
45/1	0.190
	0.605
41/3	0.380
42/2/2	0.450

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व में प्रकाशित	संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	खसरा नम्बर	
(1)	(2)	
76/1	76	
	77/1	0.385
76/2	76	
	77/2	0.150
128/3क	128/3	

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 239-प्र. क्र. 16-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6
के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—धरमपुरी
- (ग) ग्राम—शाहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.390 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/2	0.625
2/2	0.160
	0.785
2/1	0.075

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
है—आँकोरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/
लघुउपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन
अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी.
नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा
सकता है.

धार, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

क्र. 965-514-वाचक-प्र. क्र. 26-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—सिरसी
- (घ) लागभग क्षेत्रफल—6.121 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.315
4/1	0.235
4/2	0.245
74/1	0.200
76	0.719
84	0.196
78/2	0.052
113	0.239
112	0.030
118/2	0.180
121/1	0.545
118/1	0.223
83	0.018
125/2	0.640
124	0.026
130	0.040
132	0.020
135	0.040
136	0.250
87	0.020
137	0.130
139/3	0.450
301	0.018
139/2	0.390
139/1	0.460

(1)	(2)
311/2	0.210
311/1	0.150
312/1	0.080
योग	6.121

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 की सिरसी माईनर की आर. डी. 480 से 750 मी. एवं डी. एम.-73 की आर. डी. 3060 से 7070 के बीच नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 519-भू-अर्जन-ओ. एस. पी.-2009-10-भू-अर्जन-प्रकरण-क्रमांक 36-अ-82-08-09.—संशोधन—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2258/भू-अर्जन/09/धार, दिनांक 4 मई, 2009 ग्राम कवठी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 20.120 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, ओंकरेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1167 पर दिनांक 15 मई, 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 12 मई, 2009 के अंक में तथा स्वदेश दिनांक 10 मई, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है। जिनका जी नंबर 11504/09 है :—

ग्राम-कवठी

खसरा नं.	रकबा	संशोधित प्रविष्टि	
		खसरा नं.	रकबा
25/1/4/1	0.345	25/1क/1	0.345
136/1/1		136/1/2	
136/3/2	0.240	136/3/2	0.240
137/2		137/2	

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. 517-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 61-अ-82-2008-
09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—रसवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.217 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/2	0.238
93/4	0.136
86/5	0.109
92	0.269
90/1	0.427
31/2	0.758
31/1	0.280
योग	2.217

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा
सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी
के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया
जा सकता है।

क्र. 518-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 61-अ-82-2008-
09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—ब्राह्मणगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.185 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
302	0.025
301/2	0.133
300/2	0.125
299/1/1	0.119
300/1/2	0.276
297	0.028
255	0.202
258/1/2	0.422
258/1/1	0.176
258/2	0.103
259	0.591
260/2	0.177
260/2	0.008
262	0.608
247/2	0.385
247/3	0.093
244/4	0.369
244/5	0.353
231/2	0.294
232	0.676
233	0.022
योग	5.185

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा
सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी
के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया
जा सकता है।

क्र. 515-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 66-अ-82-2008-	(1)	(2)
09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है	40/2	0.125
कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की	142/1	0.028
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये	142/2	0.216
आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,	143/1	0.122
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित	143/2	0.115
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	145	0.716
आवश्यकता है:—	144	0.090
	239	0.047
	240/1	0.008
अनुसूची	149/2	0.396

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी	38/2	0.721
(ख) तहसील—ठीकरी	34/5	0.151
(ग) ग्राम—घटटी	36/1	0.361
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.290 हेक्टर.	35	0268
	26	0.514
	25/1	0.187

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
244/2	0.839	23/1	0.286	
141/1	1.674	23/2	0.212	
140	1.269	21	0.208	
135	1.229	20/1	0.218	
136/4	0.050	20/2	0.178	
136/2	0.043	19/1	0.044	
135/7	0.132	18	0.113	
135/6	0.212	16	0.067	
135/5	0.304	15	0.128	
136/1	0.006	14/1	0.063	
135/2	0.949	14/2	0.092	
134	0.032	12/1	0.662	
48	0.352	11/2	0.325	
47	1.750	10/8	0.042	
47/9	0.053	10/7	0.082	
49	1.438	10/6	0.051	
42	1.461	10/5	0.027	
20/2	0.136	10/4	0.026	
41/4	0.111	10/3	0.027	
41	3.476	10/2	0.028	
21/7	0.012	10/1	0.038	
21/6	0.124	9/2	0.158	
41/3	0.283	9/1	0.119	
41/251	0.200	6	0.083	
37	0.252	27/2	0.180	
38/2	0.148	5	0.584	
38/1	0.071	3	0.452	

(1)	(2)	(1)	(2)
4/1	0.394	306/1	0.021
210/248	0.216	307	0.135
4/2	0.170	300/2	1.002
86/1	0.109	299/2	0.484
86/7	0.155	300/7	0.117
86/8	0.103	299/1	0.485
86/3	0.218	293/1, 293/2/1	1.174
88	0.017	293/2/2, 293/3	
95/1	0.165	294/3	0.124
95/5	0.076	292/1/1	0.437
95/6	0.107	292/2/2	0.014
95/7	0.083	289/1	0.241
95	0.003	289/2	0.715
94	0.305	291/1	0.024
योग . .	<u>28.290</u>	290/4	0.490
		290/3/1	0.271
		योग . .	<u>6.224</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 516-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 68-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—अभाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.224 हेक्टर।

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
308/2	0.036
306/2	0.454

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 514-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—भटगोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.367 हेक्टर।

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
84/2/1/1	0.025

(1)	(2)
106/1, 106/2, 106/3	0.318
105	0.374
104	0.245
101	0.177
100	0.493
12/1, 12/2	0.200
10/2	0.232
10/1	0.134
2	0.176
3	0.378
53	0.152
61	0.246
63	0.167
34/3	0.027
34/2	0.393
34/1	0.264
24	0.127
26	0.005
27/1, 27/2, 27/3	0.699
28/1, 28/2, 28/3	0.627
41/116	0.087
41/115	0.309
41/117	0.423
45	0.419
85/2	0.514
83	0.605
42	0.476
80/1/2	0.075
योग . . .	8.367

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—टेमला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.338 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
320/2	0.094
320/1	0.975
318	0.524
319	0.235
299/2	0.352
299/4	0.089
297/1	0.972
297/2	0.202
297/3	0.494
296/1	0.020
293	0.009
292/2	0.670
289	1.389
292/1	0.197
291	0.081
290	0.946
286	0.243
199	0.066
198/1,	
198/2,	1.434
198/3	
201/2, 201/3	0.537
202/1, 202/2, 202/3,	
202/4, 202/5, 202/6,	1.266
202/7, 202/8, 202/9	
194	0.237
200/2	0.049
200/3	0.012
200/4	0.024
204	0.162
205/3	0.075
205/2	0.087
205/1	0.152
207	0.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 519-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 73-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

(1)	(2)
208/1, 208/2,	0.356
216/2	0.231
216/1	0.095
212	0.160
213	0.136
214	0.408
65	0.589
67/1/3/1, 67/1/3/2,	0.319
67/2, 67/3, 67/4, 67/5	
67/6	
63/3	0.319
70/2, 70/3, 70/4, 70/5	0.124
61/1, 61/2, 61/3/1,	
61/3/2, 61/3/3, 61/3/4,	2.365
61/3/5, 61/4, 61/5	
57/2	0.474
43/2	0.509
43/1	0.172
38/1, 38/2, 38/3,	0.470
38/4, 38/5, 38/6	
42/1, 42/2	0.050
40	0.833
39/3	0.010
39/2	0.028
39/1	0.058
34	0.036
33/2	0.096
35	0.092
8	1.155
30	0.218
9	0.018
11	0.300
10/2	0.064
13/1, 13/2	0.370
12	0.106
19/1/1/5/2	0.511
19/1/1/10	1.011
19/1/1/1/3/4,	0.959
19/1/1/4	
योग . .	24.338

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 509-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 76-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—देवला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.283 हेक्टर।

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
2	0.261
6/2	0.439
7/1	0.638
7/2	0.160
8	0.678
22	0.069
24	0.065
25/1, 25/2	0.139
25/3, 25/4	0.062
25/5, 25/6	0.065
25/7, 25/8	0.057
26	0.310
27	0.079
28	0.205
67/1, 67/2, 67/3	1.705
80	0.233
94/5	0.118
योग . .	5.283

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 510-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 78-अ-82-2008-
 09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—बेलगाँव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.207 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
153	0.372
151	0.030
148/1, 148/2	0.410
55/2	0.020
56	0.359
59	0.020
64	0.024
68/1, 68/2	0.072
69	0.024
71	0.093
72	0.275
63	0.031
66	0.024
67	0.049
263/1, 263/2,	0.319
263/3, 263/4	
261	0.020
262	0.122
260	0.243
213	0.105
214	0.093
212	0.291
216/1, 216/2, 216/3,	0.042
216/4, 216/5	
206/1	0.313
225	0.350
241	0.338

(1)	(2)
235	0.847
238	0.135
229	0.405
228	0.095
224/2	0.175
10/2	0.461
12/1	0.328
8	0.103
46/2	0.262
46/1	0.163
41/3	0.141
41/2	0.020
2/2	0.033
योग .	7.207

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 512-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 79-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—केंरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.811 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
182	0.016
206/1	0.002
206/2	0.415

(1)	(2)
206/6	0.243
206/3	0.421
206/7	0:014
167/1, 167/2, 167/3	1.166
169/1, 169/2	1.207
161/1	0.279
145	0.061
142/2, 143/2	0.693
142/1, 143/1	0.072
85	0.350
87/1	0.522
87/5	0.078
87/4	0.362
87/3	0.280
87/2	0.224
117/1, 117/2	1.731
115/2	0.168
155/1	0.391
110	0.130
111/1	0.161
107	0.224
105	0.143
97/2	0.325
97/1	0.363
96/1, 96/2	0.573
92/1/1	0.180
92/1/2	0.200
92/2	0.321
23/2	0.071
22/3	0.390
21/1	0.512
116	0.058
115/4	0.091
111/2/1, 111/2/2/1, 111/2/2/2, 111/2/2/3	0.352
103/1, 103/2, 103/3	0.022
योग .	12.811

(2) सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 513-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 80-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—पूरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.188 हेक्टर।

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
48/1	0.734
45/4	0.206
45/2	0.237
44	0.217
46/4	0.089
42/5	0.454
42/1	0.441
36	0.283
35/2	0.395
38/4	0.062
33/2/2घ	0.389
33/4	0.101
33/3	0.075
42/3	0.540
42/4	0.028
46/1	0.647
30/3	0.554

29/1	0.327	(1)	(2)
28/8, 28/9	0.226	71/1/2	0.854
28/1	0.115	82/1, 82/2/1क,	
24/1	0.427	82/2/3ख, 82/3, 82/4,	1.252
23/3	0.407	82/5, 82/6, 82/8, 82/9	
22/2/2क	0.378	145	0.389
22/1/2	0.386	144	2.383
6/4, 14, 16	0.363	51/260	0.059
6/1	0.427	147	0.074
7/1	0.680	149	0.065
योग . .	9.188	151/1	0.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 511-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 81-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—कालापानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—30.891 हेक्टर।

खरसरा नंबर निजी

अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
68/1, 68/2, 68/3,	
68/4, 68/5, 68/6,	1.190
68/7	
70	0.883

योग . . 30.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 521-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 82-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—घटवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.075 हेक्टर।

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) 2 1.041

294 0.089

295 0.128

296 0.227

291, 292 0.228

293 0.961

303 0.536

304 0.209

307 0.014

308 0.004

204 0.572

205 0.312

169 0.043

171 0.305

170 0.255

174 0.214

55 0.799

56 0.073

40/1 0.026

40/2 0.039

योग 6.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 520-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 85-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—उमरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.594 हेक्टर।

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) 201 0.689

199 0.302

194/1 0.290

193/2 0.313

योग 1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 279-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय “Refresher Course Training Programme”, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विचरित किये गये निम्न प्रकरणों की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें :—

 - (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्वाही न हुआ हो,

- (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,
 - (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,
 - (4) आपराधिक अपील का निर्णय,
 - (5) आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय,
 - (6) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,
 - (7) वाद विषय (Issues)
 - (8) आरोप (Charges)
5. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
 6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
 7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्र मांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
 8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह

अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 302-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय “Application of Information and Communication Technology to District Judiciary”, जो दिनांक 12 अप्रैल 2010 से 16 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों।
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेलवे स्टेशन पर ट्रैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कायालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी बापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

10. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें। साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया “लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका” भी साथ लेकर आवें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल,

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्र. E-1334-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री जयन्त चव्हाण, सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित 126 दिवस (एक सौ छब्बीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब(एक)-07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री जयन्त चव्हाण, सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) 18-8-1979 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
 2. सेवानिवृत्ति दिनांक 28-2-2010
 3. नियुक्ति दिनांक 18-8-1979 से 7 वर्ष 6 माह दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.
 4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति 22 वर्ष 11 माह दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
 5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु $7 \times 15 = 105$ दिन समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु $22 = 11 \times 15 = 165$ दिन समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 277 दिन
 8. घटाइये—सेवा के दौरान लिया गया 126 दिन अवकाश समर्पण का लाभ.
 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 151 दिन
- (सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ छब्बीस दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक

ज्ञापन क्रमांक 897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. E-1546-दो-2-100-06.—श्री ए. के. पटैरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 11 मार्च 2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2008 से दिनांक 11 मार्च 2010 तक 23 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-1459-दो-2-12-10.—श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 जनवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-1461-चार-8-42-77-तेरह.—श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल को दिनांक 1 से 18 जुलाई 2009 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जुलाई 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौहत्तर दिन का असाधारण अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 31 (अ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के नियम 36 (4) के अन्तर्गत देय नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अर्चना नायडू बोडे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. C-464-दो-2-29-2006.—श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 फरवरी 2010 के

एवं 1 एवं 2 मार्च 2010 तक के एवं पश्चात में दिनांक 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-469-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 22 से 25 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-471-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-479-दो-2-37-07.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) दिनांक 5 से 6 फरवरी 2010 तक दो दिन का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 फरवरी 2010 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 5 से 20 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. घेवलेकर, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 26th March 2010

No. 306/CJ-II/865—WHEREAS, a Departmental Enquiry has been initiated against Shri G. P. Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Indore, for lacking integrity and devotion in judicial functions amounts to grave misconduct.

AND WHEREAS, serious nature of the acts of misconduct warrant his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri G. P. Agrawal, Additional District & Sessions Judge, Indore under suspension, with headquarters at Sehore. The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. 328-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	श्री व्ही. पी. सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा,	बष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. B-1586-तीन-6-2-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के संबंध क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान संबंध क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आदेश कुमार जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
2.	श्री पंकज श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
3.	श्री अतुल सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
4.	श्री अकबर शेख, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	बुरहानपुर	बुरहानपुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभ्य कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 282-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के संबंध (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के संबंध (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के संबंध (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	सत्र खण्ड	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री अरविंद मोहन सक्सेना, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	मंदसौर	मंदसौर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	मंदसौर

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 298-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री नव्यु सिंह डाबर	झाबुआ	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. रमेश साहू के स्थान पर।
2	डॉ. रमेश साहू	मुरैना	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविन्द रघुवंशी के स्थान पर।
3	श्री एच. एस. सिसौदिया	गुना	थांदला	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से।
4	श्री अरविन्द रघुवंशी	राजगढ़	जौरा	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5	श्री राजाराम बडोडिया	मंदसौर	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6	श्रीमती शशिकांता वैश्य	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजाराम बडोडिया के स्थान पर।
7	श्री रमेश प्रसाद ठाकुर	मुंगावली	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर।

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 श्री कपिल कुमार मेहता, उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्त से लौटने पर.

क्र. 299-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती तृष्णि शर्मा	भोपाल	विदिशा	विदिशा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
2	कु. प्रतिभा साठावने	मुलताई	रीवा	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री कमर इकबाल खान के स्थान पर.
3	श्री अखिलेष कुमार मिश्रा	नागौद	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर.
4	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	मैहर	कटनी	कटनी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री देवनारायण पाटिल	लटेरी	सांबेर	इन्दौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
6	श्री कमर इकबाल खान	रीवा	सतना	सतना	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय	त्याँथर	मैहर	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री ए. सी. तिवारी के स्थान पर.
8	श्री माधव राव घोड़की	व्यावरा	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
9	श्री राजेन्द्र चौरसिया	सांबेर	खण्डवा	खण्डवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्री बलराज कुमार पालोदा	इन्दौर	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर.
11	श्री माखन लाल झोड़	सिरमौर	बैड़न	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री एम. के. त्रिपाठी के स्थान पर.
12	श्री लीलाधर सोलंकी	थांदला	सीतामऊ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से.
13	श्री गिरीष दीक्षित	बैतूल	मुंगावली	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.
14	श्री जाकिर हुसैन	बड़नगर	मुलताई	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
15	श्रीमती मनीषा बसेर	खण्डवा	ब्यावरा	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री माधव राव घोड़की के स्थान पर.
16	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय	विदिशा	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री कृष्णदास महार	बैहर	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरुण प्रताप सिंह के स्थान पर.
18	श्री धनराज दुबेला	नौगांव	त्यौंथर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सी. एम. उपाध्याय के स्थान पर.
19	श्री अरुण प्रताप सिंह	रीवा	लौंडी	छत्तपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
20	श्री सैफी दाऊदी	महेश्वर	भानपुरा	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
21	श्रीमती शशि सिंह	शहडोल	भोपाल	भोपाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
22	श्रीमती निहारिका सिंह	उज्जैन	रत्लाम	रत्लाम	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती बंदना राज पाण्डेय के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	भानपुरा	डबरा	गवालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
24	श्री सुजीत कुमार सिंह	राजेन्द्रग्राम	नागौद	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार मिश्रा के स्थान पर।
25	श्री उमा शंकर शर्मा	सीतामऊ	सिरमौर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से।
26	श्रीमती बंदना राज पाण्डेय	रतलाम	धार	धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
27	श्री एम. के. त्रिपाठी	बैड़न	बड़नगर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जाकिर हुसैन के स्थान पर।
28	श्री रतन कुमार वर्मा	लहार	भिण्ड	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
29	श्री संजय चौहान	गैरतगंज	नौगांव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से।

क्र. 300-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	श्री रूपेश नायक	रायसेन	सिलवानी	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	कुमारी रमा शिवहरे	गवालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री कैलाश नारायण अहिरवार	दमोह	चन्द्रेरी	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	श्री अरुण सिंह	भोपाल	आष्टा	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	श्री प्रकाश केरकेट्टा	देवास	खातेगांव	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री अजय पेंदाम	देवास	टोंकखुर्द	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
7	श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर)	ग्वालियर	राघौगढ़	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री त्रिवेणी प्रंसाद सोंधिया	होशंगाबाद	राजेन्द्रग्राम	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री मोहम्मद महमूद खान	मऊगंज	राजनगर	छतरपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
10	श्री मनीष सिंह ठाकुर	विदिशा	लटेरी	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11	श्री सतीश वसुनिया	खण्डवा	मऊगंज	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.
12	श्री मोहम्मद अरशद	भिण्ड	मेहगांव	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
13	श्री राजीव राव गौतम	शिवपुरी	करैरा	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
14	श्री अमजद अली	टीकमगढ़	डबरा	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
15	श्री अहमद रजा	नरसिंहपुर	बीना	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
16	श्री किशोर कुमार निनामा	खण्डवा	महेश्वर	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	श्री इरशाद अहमद	सतना	रामपुर-बघेलान	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.